

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना-03/2019/44/योजना
प्रेषक,

/राँची, दिनांक- 12.03.2025

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित कुल ₹0 5,00,00,000/- (₹0 पांच करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :-स्वीकृत।

बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 15/योजना दिनांक 17.11.2022 के द्वारा प्राक्कलित राशि ₹ 89,03,23,400/- (₹0 नवासी करोड़ तीन लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में 80,00,00,000/- (₹0 अस्सी करोड़) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश सं० 01/बजट दिनांक 16.05.2023, 12/बजट दिनांक 17.10.2023, 30/बजट दिनांक 28.03.2024 एवं 09/बजट दिनांक 07.10.2024 के द्वारा विमुक्त की गई है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 271(नि) दिनांक 21.02.2025 द्वारा उक्त राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराते हुए राशि की अधियाचना की गयी है जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

पत्रांक एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
आवंटनादेश सं० 01/बजट दिनांक 16.05.2023	25,00,00,000.00	79,48,97,848.00
आवंटनादेश सं० 12/बजट दिनांक 17.10.2023	30,00,00,000.00	
आवंटनादेश सं० 30/बजट दिनांक 28.03.2024	10,00,00,000.00	
आवंटनादेश सं० 09/बजट दिनांक 07.10.2024	15,00,00,000.00	

3. अतः उक्त के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित हेतु स्वीकृत योजना के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 5,00,00,000/- (₹0 पांच करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परियोजना-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेक्निक/खान् पद संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।
विपत्र कोड - 43S42020210506010545 (स्कीम कोड-0133)
5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

/राँची, दिनांक-

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-03/2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

/राँची, दिनांक- 12.03.2025

ज्ञापांक- 02.त०शि०/योजना-03/2019/44/योजना

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/बजट पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव